कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

—::आदेश::—

क्रमांक386/दो—11—24/18 नर्मदापुरम, दिनांक 09.04.2026

श्री किशोर पठाड़े सहायक ग्रेड—3, कार्यालय अनुभाग, नर्मदापुरम का दिनांक 20.04.2026 से 22.04.2026 तक कुल 03 दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 18.04.2026 के न्यायालयीन समय पश्चात् से दिनांक 23.04.2026 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति के स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदक के अर्जित अवकाश लेखे में 149 दिवस का स्वत्व शेष है।

1— उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहेगा।

2— अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी) (दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।

Sd—
जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)

पृ0क0 1539/दो—11—24/18 नर्मदापुरम, दिनांक 09.04.2026

यथाआदेश प्रतिलिपिः—

01. प्रभारी अधिकारी कार्यालय अनुभाग, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ एवं श्री किशोर पठाड़े सहायक ग्रेड—3, को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।

02. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

9/4/26.
जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)